

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा।

पत्रांक 248 /
प्रषक

मधेपुरा, दिनांक 13/03/2025

ई0 अमय आनन्द शर्मा,
अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, मधेपुरा।

सेवा में

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज।

विषय :

शीर्ष MMGSY(Awsesh) योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
उदाकिशुनगंज MMGSY (Awsesh)-NDB-BRRP2 -534-Udakishunganj
(TenderID-2024_ECBIH_136789_1) पथ निर्माण कार्य की निविदा
की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का
पत्रांक-BRRDA(HQ)MMGSY(NDB)-172/24-489अनु0, पटना, दिनांक-12.03.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के आलोक में बिहार लोक निर्माण संहिता के
कडिका-163 के आलोक में इस कार्य को इसके योग्य एवं सफल न्यूनतम दरदाता **Pramod
Kumar Premi. (Bid ID-599539)** को उनके द्वारा निविदित दर, जो परिमाण विपत्र से -
3.21.99% (दो एक दशमलव नौ-नौ प्रतिशत) कम है, को स्वीकृत करते हुए सम्पूर्ण कार्य
कुल Rs 3,75,37,380=00 (तीन करोड़ पचहत्तर लाख सैंतीस हजार तीन सौ अस्सी)
रुपये मात्र की लागत पर आपकी अनुशंसा एवं कार्यहित में आवंटित किया जाता है।

- कार्य का निष्पादन MMGSY(Awsesh) योजना की मार्गदर्शिका एवं मानक निविदा
अभिलेख के अनुरूप किया जायेगा।
- निविदा की स्वीकृति सिर्फ इस कार्य के लिये है, जो भविष्य में पूर्वोद्धारण नहीं होगा।
- संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिये जमा की गयी राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये
संबंधित अग्रधन एवं परफॉरमेंस सिक्यूरिटी आदि का सत्यापन सम्बन्धित बैंक/डाकघर से
कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण
कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राशि
के सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वॉछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं
सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर ली जाएगी।
- अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे
एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि
के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
- एकरारनामा के समय प्रत्येक मद की भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर
लेगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है।
- कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं
प्राक्कलन में किये गये उपबन्ध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा
प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

P.T.O

9. कार्यदेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकारारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु कार्य प्रोग्राम हस्ताक्षरित कराकर प्राप्त कर लेंगे जो की एकरारनामा का भाग होगा।
10. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर पूरा की जायेगी।
11. कार्य समाप्ति की अवधि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप होगी।
12. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में अतिरिक्त वॉछित परफॉरमेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
13. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।
14. इस कार्य का व्यय **MMGSY(NDB)** योजना अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलित होगा।
15. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है। आप निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जॉचोपरान्त आप आवश्यक निर्देशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।
16. कार्यपालक अभियंता कार्यावटन आदेश प्राप्त होते ही संवेदक को अविलम्ब **LOA (Letter of Acceptance)** निर्गत करते हुए एकरारनामा कर लेंगे।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनुलग्नक:-यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल,
मधेपुरा।

आपांक 248 /

मधेपुरा, दिनांक 13/03/2025

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता-4 पूर्णियाँ, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/नोडल पदाधिकारी, **MMGSY(Awsesh) NDB**, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल,
मधेपुरा।